देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

वॉल्यूम न.– 2021/MMP/205 E-Newsletter, Issued in Public Interest शुक्रवार, 22 अक्तूबर 2021

विशेष रिपोर्ट-1

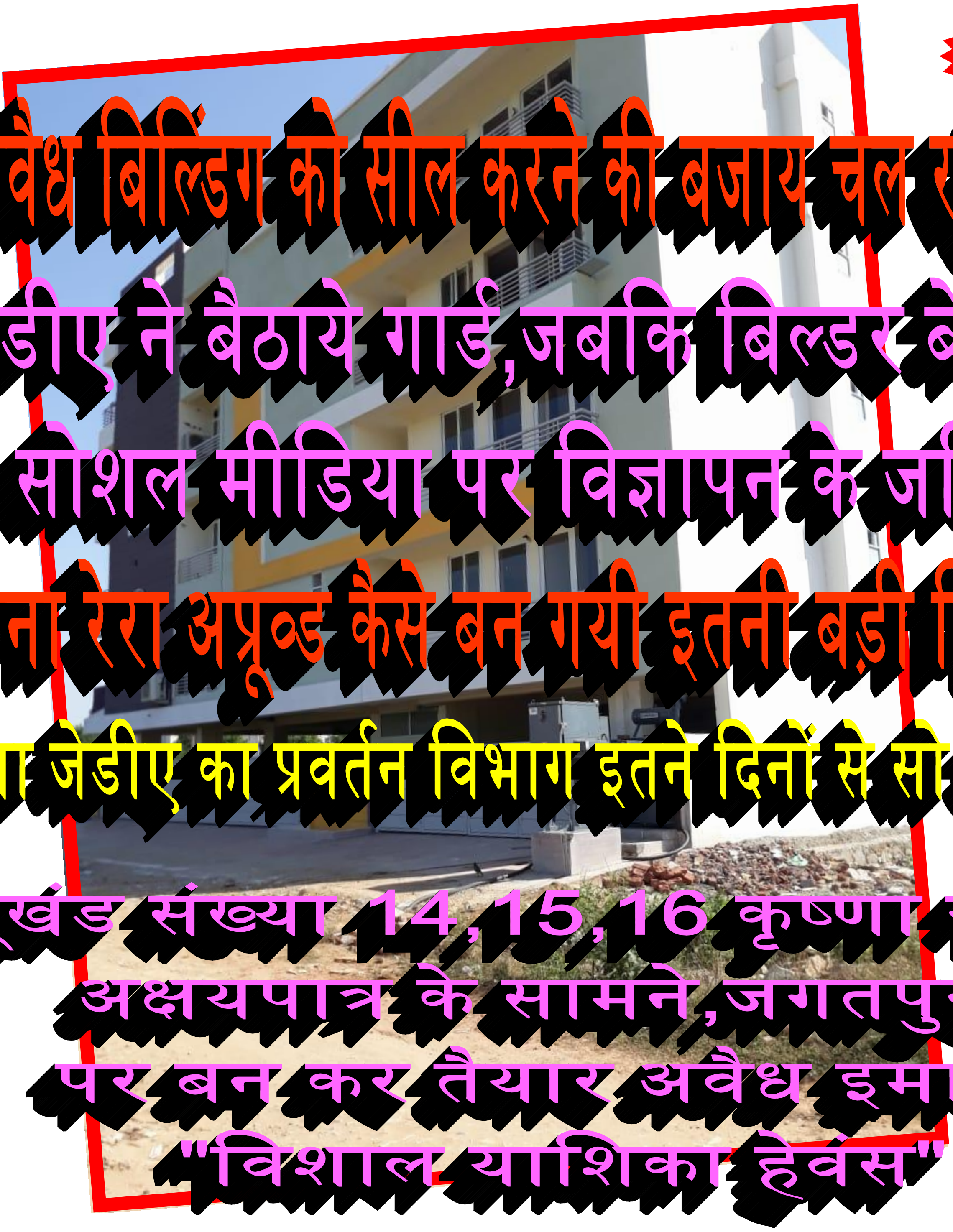

अवैध बिल्डिंग को सील करने की बजाय चल रही डील!!!

जेडीए ने बैठाये गार्ड,जबकि बिल्डर बेच रहा सोशल मीडिया पर विज्ञापन के जरिये!!!

बिना रेरा अप्रूव्ड कैसे बन गयी इतनी बड़ी बिल्डिंग?

क्या जेडीए का प्रवर्तन विभाग इतने दिनों से सो रहा था?

भूखंड संख्या 14,15,16 कृष्णा गार्डन, अक्षयपात्र के सामने,जगतपुरा पर बन कर तैयार अवैध इमारत "विशाल याशिका हेवंस"

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जेडीए के ज़ोन-9 मे स्थित भूखंड संख्या 14,15,16, कृष्णा गार्डन,अक्षयपात्र के सामने, जगतपुरा पर बन रही अवैध बिल्डिंग विशाल याशिका हेवंस का है मामला|

यह मामला जेडीए के ज़ोन 9 मे स्थित भूखंड संख्या 14,15,16, कृष्णा गार्डन,अक्षयपात्र के सामने, जगतपुरा पर बन रही अवैध बिल्डिंग विशाल याशिका हेवंस का है जिस पर 5 मंज़िला इमारत का निर्माण हो चुका है|इस बिल्डिंग मे करीब 35-40 फ्लेटो का निर्माण किया गया है|

रेरा अनुमोदित नहीं

वैसे तो बिल्डर अपने विज्ञापनों मे इस प्रोजेक्ट के जेडीए से अनुमोदित होने का लोकलुभावन वादा कर रहा है लेकिन इस बात मे कितनी सच्चाई है इसका जवाब तो यह बिल्डर या जेडीए के जिम्मेदार अधिकारी ही दे सकते है,लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 500 मीटर से अधिक और 8 आवासीय इकाइयों के निर्माण के बावजूद ना तो इसके विज्ञापनों मे इस प्रोजेक्ट के रेरा अनुमोदित होने की बात कही जा रही है और ना ही रेरा की अधिकृत वैबसाइट पर इस प्रोजेक्ट का कोई ब्यौरा दर्ज है|जिसका सीधा सा अर्थ है कि यह प्रोजेक्ट रेरा अनुमोदित नहीं है|यदि यह बात सही है कि यह प्रोजेक्ट रेरा अनुमोदित नहीं है तो रेरा प्राधिकरण द्वारा इस बिल्डर के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है जिसमे भारी जुर्माने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान है|

ग्राहकों के साथ धोखा

यदि इस प्रोजेक्ट को बिना रेरा आनुमोदित किए बेचा जा रहा है तो यह सीधा सीधा इस प्रोजेक्ट मे फ्लेट खरीदने वाले उपभोक्ताओं के साथ धोखा होगा जिसके विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण आयोग मे भी दावा किया जा सकता है|

प्रवर्तन शाखा के संज्ञान मे मामला,बिल्डर बेच रहा सोशल मीडिया पर माल|

स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह मामला जेडीए की प्रवर्तन शाखा के संज्ञान मे है जिसके चलते इस प्रोजेक्ट का काम रुकवाते हुए यहाँ पर दिन रात की शिफ्ट मे गार्ड बेठाये गए है|लेकिन उसके बावजूद इस बिल्डिंग का बिल्डर इस प्रोजेक्ट के फ्लेट्स को सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर बेच रहा है|जिससे जेडीए के अधिकारी अनभिज्ञ है या फिर अनभिज्ञ होने का नाटक कर रहे है|क्यूंकी इतना होने के बावजूद जेडीए द्वारा इस बिल्डिंग को सील नहीं किया जा कर इसके फ्लेट्स को बेचने का मौका दिया जा रहा है|

भूखंड संख्या 14,15,16 कृष्णा गार्डन,अक्षय पात्र के सामने,जगतपुरा पर बन चुकी बिल्डिंग

“विशाल याशिका हेवंस”

	प्रथम सूचना रिपोर्ट	
1	भूखंड का पता	भूखंड संख्या 14,15,16, कृष्णा गार्डन,अक्षयपात्र के सामने, जगतपुरा
2	उल्लंघन की संभावित प्रकृति	बिना अनुमति,बिना नक्शे पास करवाए,बिना भवन विनियमों की पालना के,बिना पार्किंग ,बिना सेटबैक छोड़े,बिना रेरा अनुमोदित करवाए बहुमंजिला अवैध कॉम्प्लेक्स का निर्माण
3	बिल्डर/संबन्धित फर्म	याशिका बिल्डकोन
4	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन-9
5	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी	प्रवर्तन अधिकारी श्री उदयभान
6	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेषण दिनांक	22/10/2021

जवाब मांगते सवाल?

अवैध निर्माण नहीं रोकना भी भ्रष्टाचार

उच्च न्यायालय ने दिखाई सख्ती

जयपुर @ पत्रिका . अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियां नहीं रोकने वाले लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे के बारे में जानकारी के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एमएन को तलब किया। कोर्ट ने 20 अप्रेल को जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, नगर निगम आयुक्त को तलब किया है।

जज महेश चन्द्र शर्मा ने मोहनलाल नामा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में 22 जनवरी 2015 को अभ्यावेदन तय करने का आदेश दिया था। इस पर कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की है। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जयपुर शहर में अवैध निर्माण व कब्जे हो रहे हैं। कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है। अवैध निर्माण व कब्जों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है या नहीं? जवाब के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एम एन को तलब किया। उन्होंने दायित्व के प्रति अनदेखी को भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में माना।

कार्रवाई संभव

अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल ने कहा कि अवैध निर्माण या अवैध गतिविधियां रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर कार्रवाई न करे या अनदेखी करे तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया अपनानी होगी। गिल के आग्रह पर कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में कोई आदेश जारी करने से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त व जयपुर नगर निगम आयुक्त से जवाब तलब किया जाए।

सुनवाई 20 को

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अधिवक्ता पक्ष रखना चाहे तो वह सुनवाई के दौरान पक्ष रखने को स्वतंत्र होगा। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रेल को सुबह 11 बजे होगी।

1. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंडो का पुनर्गठन करवा लिया गया है?
2. क्या भवन मालिक द्वारा इस कॉम्प्लेक्स का सक्षम स्तर से मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया जा रहा है?
3. क्या भवन मालिक द्वारा इस प्रोजेक्ट को रेरा रजिस्टर्ड करवा लिया गया है?
4. क्या भवन मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडो का पालन किया जा रहा है?
5. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
6. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड का यूडी टेक्स जमा करवा दिया गया है?
7. यह मामला हमारे द्वारा जेडीए के आला अधिकारियों के संज्ञान मे लाने के बावजूद यदि इस मामले मे कोई कार्यवाही नहीं होती है तो क्या जेडीए के जिम्मेदार अधिकारियों का यह आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी मे नहीं आता है?
8. क्या जेडीए के जिम्मेदार अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार मे दिये गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
9. क्या इस अवैध निर्माण के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है?क्यूँ उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?